

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 163/2019

सरकार

बनाम

1. पेमाराम हरीराम, चनणी देवी वगैरे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम संपादित नियम
59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक:-24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोढो की ढाणी के मूल खसरा नं 29 के बट्टा न की स्थिति परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। सोढो की ढाणी में खसरा न. 29 के बट्टा न0 की तरमीम परिशिष्ट 'ब' के अनुसार की हुई है। परिशिष्ट 'ब' के बट्टा न0 206/29, 207/29, 208/29, 29/167 की तरमीम की हुई जो मौके अनुसार सही तरमीम अनुसार सही नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'स' के कालम अनुसार खसरे न 29 के बट्टा न0 की तरमीम करने का आदेश का निवेदन किया।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय में दिनांक 24.12.2019 को सुनाया गया।

(रोहित कुमार)

भू-अभिलेख अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा